**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**।। आदेश ।।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री महेश ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तारडीह, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–1241 दिनांक–07.11.2023 के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्देशित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शिथिलता बरतने, पंचायत आम चुनाव के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकान की सम्बद्धता ससमय निकटवर्ती दुकान से नहीं किये जाने एवं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने जैसे प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–161647 दिनांक–27.09.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–233 दिनांक–18.02.2025 द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाते हुए अपने मंतव्य / निष्कर्ष के रूप में अंकित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश, जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के बावजूद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए श्री ठाकुर के पदस्थापन क्षेत्र में कुल–06 दिन तक अनुदानित खाद्यान्न का लाभुकों के बीच वितरण होता रहा और श्री ठाकुर को इसकी जानकारी नहीं होना, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि श्री ठाकुर द्वारा अपने कार्य्र का निर्वहन गंभीरता पूर्वक नहीं किया गया, जो इनकी कर्त्तव्यों के प्रति शिथिलता और लापरवाही को प्रदर्शित करता है। साथ ही श्री ठाकुर अपने बचाव में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी असफल रहे हैं, जबकि आरोप के संदर्भ में सबूत का बोझ (Burden of Proof) आरोपित पदाधिकारी / कर्मी का होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री ठाकुर के पदस्थापन क्षेत्र में मात्र 08 जन वितरण प्रणाली विक्रेता / उनके निकट संबंधी चुनाव में भाग ले रहे थें। ऐसी स्थिति में उन 08 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का नियमित रूप से निरीक्षण / अनुश्रवण यदि श्री ठाकुर द्वारा अपने स्तर से किया जाता तो आदर्श आचार संहिता लागू रहने की स्थिति में वितरण किये जाने का कार्य सम्पादित नहीं होता। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–205839 दिनांक–19.02.2025 द्वारा श्री ठाकुर से द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / लिखित बचाव बयान की माँग की गई।

श्री ठाकुर ने दिनांक–03.03.2025 को अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का खंडन करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह के आदेश संख्या–985 दिनांक–12.08.2021 द्वारा उन्हें सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया और नोमिनेशन काउन्टर का प्रभारी भी बनाया गया था। जहाँ तक 6 दिन तक अनुदानित खाद्यान्न वितरण का प्रश्न है, आरोपी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सार्वजनिक रूप से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया है। प्रतीत होता है कि रात के अंधेरे में घर–घर जाकर पॉश मशीन पर अंगूठा लेकर किया गया है, जिसका पता लगाना चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न रहने के कारण मुश्किल हैं और आरोपी विक्रेता द्वारा जान–बूझकर ऐसा किया गया है। जहाँ तक दुकान सम्बद्धता का प्रस्ताव ससमय नहीं

भेजे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विदित हो कि मेरे द्वारा कार्यालय पत्रांक–147 दिनांक–11.10.2021 के माध्यम से तारडीह प्रखंड के कुल 8 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का सम्बद्धता संबंधी प्रस्ताव दिनांक–16.10.2021 को व्हाट्सऐप ग्रुप द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा गया, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत नहीं किया गया, जिसके कारण दुकान की सम्बद्धता नहीं हो सकी। चुनाव आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक–1513 दिनांक–07.10.2021 के आलोक में मैंने अपना कर्त्तव्य समझकर दिनांक–16.10.2021 को टैगिंग प्रस्ताव भेजा। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–102 दिनांक–11.02.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा टैगिंग के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का यह कहना कि टैगिंग संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, न्याय संगत नहीं है।

श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–4610 दिनांक–29.09.2021 द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर वैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जो स्वयं अथवा उनके निकटतम संबंधी चुनाव में अभ्यर्थी हैं, उन संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लाभुकों को निकटवर्त्ती दुकान से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सम्बद्ध करने हेतु निदेशित किया गया। तद्‌लोक में दिनांक–20.10.2021 को निर्धारित पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, दरभंगा ने अपने पत्रांक–1513 दिनांक–07.10.2021 द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा को उक्त आशय की सूचना से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। यद्यपि श्री ठाकुर का यह कहना कि उन्होंने प्रखंड कार्यालय, तारडीह के पत्रांक–147 दिनांक–11.10.2021 के माध्यम से ग्राम पंचायत–कुर्सो मछैता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री बोध कृष्ण झा, जिनकी पत्नी (श्रीमती शांति देवी) मुखिया पद की उम्मीदवार थी, के दुकान का टैगिंग निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री आशा झा के दुकान के साथ करने संबंधी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बनाये गये आपूर्ति व्हाट्सऐप ग्रुप पर भेजा गया, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी से सम्बद्धता स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं हुआ, तदापि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के निमित सिर्फ दूरभाष पर सूचना देना ही पर्याप्त नहीं था। दुकान की सम्बद्धता संबंधी प्रस्ताव प्रखंड कार्यालय के पत्रांक–147 दिनांक–11.10.2021 की प्रति अनुमंडल कार्यालय को हस्तगत / रिसिव कराये जाने के संबंध में भी श्री ठाकुर द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अनुमंडल कार्यालय, तारडीह द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि श्री ठाकुर का पत्रांक–147 दिनांक–11.10.2021 अनुमंडल कार्यालय में रिसिव नहीं कराया गया है। व्हाट्सऐप ग्रुप की स्क्रीन–शॉट कॉपी के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि दिनांक–11.10.2021 को निर्गत पत्र दिनांक–16.10.2021 को ग्रुप में श्री ठाकुर द्वारा प्रेषित किया गया, जबकि इस दौरान जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री बोध कृष्ण झा द्वारा दिनांक–10.10.2021 से 16.10.2021 के बीच खाद्यान्न वितरण का कार्य जारी रहा। उक्त के अतिरिक्त वरीय उप समाहर्त्ता–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, तारडीह, दरभंगा ने भी अपने पत्रांक–528 दिनांक–06.12.2021 द्वारा आदर्श आचार संहिता के समय श्री झा द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य किये जाने संबंधी प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, दरभंगा को समर्पित किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में श्री ठाकुर का यह प्राथमिक दायित्व था कि चुनाव के मद्देनजर दुकान की सम्बद्धता संबंधी प्रस्ताव ससमय अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय, परन्तु श्री ठाकुर इसमें विफल रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री ठाकुर ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शिथिलता एवं कर्त्तव्यों के प्रति

128



लापरवाही बरती है। फलतः इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री महेश ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तारडीह, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत 05 (पाँच) वर्षो तक 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित की शास्ति विनिश्चित की गयी है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के आलोक में श्री महेश ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तारडीह, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत 05 (पाँच) वर्षो तक 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(दरभंगा)–16 / 2023 594 खाद्य, पटना / दिनांक– 09/05/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, दरभंगा / विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी / जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा / अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री महेश ठाकुर (से0नि0 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी), पता–ग्राम–लखनौर, पो0–झंझारपुर, जिला–मधुबनी (बिहार), पिन–847403, मोबाईल संख्या–9934655452 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।